हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2016 की चतुर्थ विशेष बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 20 जुलाई, 2016 को दोपहर 12:00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1– आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, प्रति कुलपति

2– डॉ0 राकेश कुमार, सचिव (शिक्षा)

3– श्री राजेश शर्मा, विशेष सचिव (वित्त)

4– डॉ0 दिनकर बुड़ाथोकी, निदेशक, उच्च शिक्षा

5– आचार्य एम0एस0 चौहान, अधिष्ठाता भौतिक विज्ञान संकाय

6– आचार्य हिम चटर्जी, अधिष्ठाता प्रदर्शन एवं दृश्य कलाएं संकाय

7– श्री कृष्ण वैद्य, प्राचार्य

8– आचार्य वाई0के0 शर्मा, प्रतिनिधि शैक्षणिक परिषद्

9– आचार्य जे0बी0 नड्डा

10–श्रीमती राज कुमारी, प्रतिनिधि गैर–शिक्षक कर्मचारी

11–श्री बम्बर ठाकुर, नामिति माननीय कुलाधिपति

12–डॉ0(श्रीमती) श्यामा जोशी, सह–आचार्य

13–डॉ0 जे0एस0 नेगी –कुलसचिव
सदस्य–सचिव

<u>मद संख्या:1:</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की ***वर्ष 2016 की चतुर्थ विशेष बैठक*** में कुलपति ने समस्त सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् के सभी सम्माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि दिनांक 22 जुलाई, 2016 को विश्वविद्यालय का 47वाँ स्थापना दिवस

आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति हिमाचल प्रदेश आचार्य देवव्रत जी मुख्य अतिथि होंगे तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री वीरभद्र सिंह जी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

कुलपति महोदय ने सूचित किया कि इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाऐं आयोजित की गईः—

1. दिनांक 8 जुलाई, 2016 को अनुभाग अधिकारियों से ऊपर के सभी अधिकारियों के सम्बन्ध में भर्ती एवं पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें इन अधिकारियों के पदोन्नति सम्बन्धी विचार—विमर्श किया गया।

2. दिनांक 11 जुलाई, 2016 को विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए प्रति—कुलपति, अधिष्ठाता अध्ययन, मुख्य छात्रपाल, छात्रपालों व मुख्य सुरक्षा अधिकारी के साथ विस्तृत विचार—विमर्श कर वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई।

3. दिनांक 15 जुलाई, 2016 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ की 59वीं प्रबन्धन बोर्ड की बैठक में नई दिल्ली में भाग लिया।

उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

<u>मद संख्या—2</u>: श्रीमती पुष्पा देवी, सहायक कुलसचिव द्वारा पदोन्नति को लेकर माननीय प्रशासनिक अधिकरण में दायर याचिका संख्या 785/2016 पर पारित निर्देश दिनांक 31.3.2016 व उसके अनुपालना में कुलसचिव द्वारा याचिकाकर्ता से

व्यक्तिगत सुनवाई उपरान्त पारित आदेश के सन्दर्भ में मामला भर्ती एवं पदोन्नति की पुनर्विलोकन समिति की दिनांक 8.7.2016 को दोपहर 12:00 बजे हुई बैठक में की गई अनुशंसा को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु।

.....

भर्ती एवं पदोन्नति की पुनर्विलोकन समिति दिनांक 8.07.2016 दोपहर 12:00 बजे हुई बैठक जिसके अन्तगर्त माननीय प्रशासनिक प्राधिकरण के आदेशानुसार श्रीमती पुष्पा देवी, सहायक कुलसचिव के पद से उपकुलसचिव के पद पर पदोन्नति हेतू समिति की अनुशंसा पर गहन विचार विमर्श करने के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद ने अपनी स्वीकृति संलग्नक के रूप में प्रदान की। हालांकि

परिषद ने यह भी अपेक्षा की है कि भविष्य में कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिर्पोट सम्बन्धित अधिकारी को सूचित की जानी चाहिए।

<u>मद संख्या–3:</u> भर्ती एवं पदोन्नति समिति की अनुभाग अधिकारी, उसके समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों के लिए दिनांक 08.7.2016 अपराह्न 1:00 बजे हुई बैठक की कार्यवाही को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतू।

......

अनुभाग अधिकारी व समकक्ष के पदों हेतू भर्ती एवं पदोन्नति समिति की दिनांक 8.07.2016 उपराह्न 1:00 बजे हुई बैठक की अनुशंसा पर गहन विचार विमर्श करने के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद ने संलग्नक के रूप में अपना अनुमोदन प्रदान किया।

<u>मद संख्या–4:</u> भर्ती एवं पदोन्नति समिति की अनुभाग अधिकारी, उसके समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों के लए दिनांक 13.7.2016 अपराह्न 1:00 बजे हुई बैठक की कार्यवाही को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतू।

.....

अनुभाग अधिकारी व समकक्ष के पदों हेतू भर्ती एवं पदोन्नति समिति की दिनांक 13.07. 2016 उपराह्न 1:00 बजे हुई बैठक की अनुशंसा पर गहन विचार विमर्श करने के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद ने संलग्नक के रूप में अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या–5: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय गैर–शिक्षक कर्मचारियों की पत्रिका प्रकाशन करने हेतू समिति की बैठक दिनांक 27.06.2016 की कार्यवाही संलग्नक अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्याल कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

......

अनुमोदित ।

मद संख्या–6: विश्वविद्यालय कार्यकरिणी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय ध्येय वाक्य ''प्रेम, अनुशासन एवं उत्कृष्टता'' (Love, discipline and Excellence) को विश्वविद्यालय के कार्यों एवं यथा स्थानों पर प्रदर्शित करने हेतू मामला विचारार्थ प्रस्तुत।

.....

अनुमोदित।

मद संख्या–7: विश्वविद्यालय द्वारा तैयार समाचारपत्रों के रोस्टर (सूची) में विभिन्न विज्ञापनों को जारी करने के लिए एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र को सम्मिलित करने की स्वीकृति हेतु।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने मद को स्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–8: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा गैर–शिक्षक पदों हेतू जारी विज्ञापनों की क्रियान्वयन समयावधि के विस्तार की स्वीकृति।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा गैर–शिक्षक पदों को भरने करने के लिए जारी विज्ञापनों में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु विज्ञापनों के क्रियान्वयन की समय अवधि में दिनांक 19–6–2016 से छः महीने के विस्तार हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

<u>मद संख्या–9:</u> राजकीय संस्कृत महाविद्यालय,सोलन, हिमाचल प्रदेश में साहित्य आचाग्र की कक्षा को सत्र 2016–2017 से शुरू करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकनार्थ एवं आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने संस्कृत महाविद्यालय सोलन में साहित्य आचार्य की कक्षाएं प्रारम्भ करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले संबद्धता शुल्क रूपये 50,000/– को महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति को मध्यनजर रखते हुए विशेष प्रकरण के तौर पर माफ करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय इसे भविष्य के लिए परम्परा न माना जाये।

<u>मद संख्या–10:</u> कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा O.A.No.671/2016 शीर्षक कुमारी पूनम चौहान बनाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पारित आदेश की अनुपालना बारे।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशानुसार मामले में विधिक पेचीदगियों बारे विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार से परामर्श कर मामला पुनः पूर्ण तथ्यों सहित परिषद् के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये।

यथा–स्थान की गई चर्चा:

सदस्य श्री कृष्ण वैद्य ने रूसा प्रणाली में प्रथम व द्वितीय समैस्टर में अनिवार्य हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय में शिक्षकों की कमी के कारण आ रही समस्या का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया और क्रेडिट प्रणाली में सुधार का भी सुझाव दिया, जिस पर माननीय कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत करवाया कि मामले के उचित समाधान हेतु प्रकरण अधिष्ठाता समिति के समक्ष रखा जायेगा और श्री कृष्ण वैद्य जी को इस बैठक में विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जायेगा ताकि वे अधिष्ठाता समिति में उक्त मामले पर अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकें।

सदस्य श्री दिनकर बुड़ाथोकी ने कहा कि विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त निजी बी.एड. महाविद्यालयों में एन.सी.टी.ई. के दिशा–निर्देशों/मापदण्डों के अनुसार मूलभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है और सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को निजी बी.एड. महाविद्यालयों का समय–समय पर निरीक्षण कर इन महाविद्यालय में मूलभूत ढांचे की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। इस पर प्रति कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष इन निजी बी.एड. महाविद्यालयों का निरीक्षण कर यहां मूलभूत ढांचे की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा समस्त निजी बी.एड. महाविद्यालयों में प्रवेश से पूर्व मूलभूत सुविधाएं/ढांचा उपलब्ध करवाने बारे शपथ–पत्र भी लिया जा रहा है।

सदस्य श्री बम्बर ठाकुर ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में एम.ए. हिन्दी व एम.ए. संगीत की कक्षाएं प्रारम्भ करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया। जिस पर कुलपति महोदय ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार उक्त स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करती है तो विश्वविद्यालय नियमानुसार उक्त विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करने के लिए संबद्धता प्रदान कर सकता है।

हालांकि निदेशक उच्चतर शिक्षा ने सूचित किया कि शिक्षकों के पदों के सृजन के बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकता है परन्तु उक्त विषयों को पढ़ाने के लिए महाविद्यालय को आवश्यक शिक्षकों का प्रबन्ध अपने स्तर पर ही करना होगा।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(डॉ0 जे0एस0 नेगी)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

(आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी)
कुलपति / सभापति

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2016 की तृतीय विशेष बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 7 जुलाई, 2016 को दोपहर 12—00 बजेआचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :—

1— आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, प्रति कुलपति

2— डॉ0 राकेश कुमार, सचिव (शिक्षा)

3— डॉ0 दिनकर बुड़ाथोकी, निदेशक, उच्च शिक्षा

4— आचार्य एम0एस0 चौहान, अधिष्ठाता भौतिक विज्ञान संकाय

5— आचार्य हिम चटर्जी, अधिष्ठाता प्रदर्शन एवं दृश्य कलाएं संकाय

6— श्री कृष्ण वैद्य, प्राचार्य

7— आचार्य जे0बी0 नड्डा

8— श्रीमती राज कुमारी, प्रतिनिधि गैर—शिक्षक कर्मचारी

9— डॉ0(श्रीमती) श्यामा जोशी, सह—आचार्य

10—डॉ0 पंकज ललित, —कुलसचिव
सदस्य—सचिव

मद संख्या:1: कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

कुलपति महोदय ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की ***वर्ष 2016 की तृतीय विशेष बैठक*** में सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

कुलपति महोदय ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी रहे श्री दिवाकर कमल का उनके कुशल वित्तीय प्रबन्धन एवं वित्त विकास के लिए धन्यवाद किया तथा उनके स्थान पर नए आए वित्त अधिकारी, श्री नरेन्द्र ठाकुर का स्वागत किया ।

उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् को अवगत कराया कि उन्हें सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों में पहला विश्वविद्यालय बन गया जिसने रूसा (सी.बी.सी.एस.) प्रणाली लागू कर उसके पहले बैच का परीक्षा परिणाम सफलतापूर्वक घोषित किया। इस कार्य हेतु उन्होंने डॉ.जे.एस.नेगी, परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 पंकज ललित, कुलसचिव व डॉ0 मुकेश कुमार,प्रभारी कम्प्यूटर केन्द्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद दिया तथा परीक्षा विंग के उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने बड़ी कर्मठता व लग्न के साथ विश्वविद्यालय के हितों को मध्यनज़र रखते हुए इस परीक्षा परिणाम को तय समय के अन्दर घोषित करने में अपना योगदान दिया जिससे विश्वविद्यालय के सम्मान में बढ़ौतरी हुई है।

कुलपति महोदय जी ने रूसा (सी.बी.सी.एस.) प्रणाली लागू करने में हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉ. राजेश यादव, महासचिव, डॉ. राम लाल शर्मा एवं शैक्षणिक सचिव, डॉ. जोगेन्द्र सकलानी का भी छठे सत्र का परिणाम समय पर निकालने के लिए तथा समारात्मक भूमिका प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने परिषद् को यह भी अवगत कराया कि इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईः–

1. दिनांक 3 जून, 2016 को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला का रजत जयन्ती दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया जिसके मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी रहे।

2. दिनांक 7 जून, 2016 को डॉ. भीम राव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ की कार्यकारिणी परिषद् की बैठक में सदस्य के रुप में शामिल हुआ।

3. दिनांक 9 जून, 2016 को स्नातकोत्तर केन्द्र के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र–छात्राओं को शेक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों के लिए पुरस्कार दिए।

4. दिनांक 12 जून, 2016 को गेयटी थियेटर में आयोजित किए गए शहीदी दिवस कार्यक्रम में भाग लिया।

5. दिनांक 13 जून, 2016 को यू.जी.सी.–मानव संसाधन विकास केन्द्र द्वारा आयोजित पुनश्चर्या कार्यक्रम 'विधि और सामाजिक परिवर्तन' के शुभारम्भ कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

6. दिनांक 15 जून, 2016 को पुस्तकालय में संचालित सी.सी.टी.वी. कैमरा कार्य प्रणाली का उद्‌घाटन किया।

7. दिनांक 15 जून, 2016 को ही विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केन्द्र के सहयोग से मुख्य छात्रपाल कार्यालय के सहयोग से पर्यावरण सुधार एवं तम्बाकू निवारण कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

8. दिनांक 18 जून, 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर योग दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें हिमाचल प्रदेश योग संघ के अध्यक्ष श्री टी.सी.जनार्था भी शामिल हुए।

9. दिनांक 18 जून, 2016 को ही हिमाचल प्रदेश न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सी.बी. बारोवालिया को विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र होने के नाते सम्मानित किया गया।

10. दिनांक 18 जून, 2016 को ही सभागार में हिमाचल योग संघ के अध्यक्ष श्री टी.सी. जनार्था द्वारा ''योग का विज्ञान'' विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया।

11. दिनांक 21 जून, 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में योग क्रियाओं का सत्र आयोजित किया गया।

12. दिनांक 22 जून, 2016 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय पंजाब की कार्यकारिणी परिषद् की बैठक में मोहाली में भाग लिया।

13. दिनांक 26 जून, 2016 को हिमाचल प्रदेश के 65 वर्ष की विकास गाथा पर आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता की।

14. दिनांक 29 जून, 2016 को राजकीय महाविद्यालय कुकुमसेरी का निरीक्षण किया तथा शैक्षणिक विकास के लिए प्राचार्य एवं प्राध्यापकों के साथ विचार विमर्श किया।

15. दिनांक 1 जुलाई, 2016 को गेयटी थियेटर में स्वदेशी अर्थव्यवस्था पर अयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

16. दिनांक 2 जुलाई, 2016 को यू.जी.सी.–मानव संसाधन विकास केन्द्र द्वारा आयोजित पुनश्चर्या कार्यक्रम 'विधि और सामाजिक परिवर्तन' के समापन समारोह की अध्यक्षता की जिसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलपति आचार्य रणबीर सिंह व राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटियाला के कुलपति आचार्य पी.एस.जसवाल शामिल हुए।

17. दिनांक 4 जुलाई, 2016 को यू.जी.सी.–मानव संसाधन विकास केन्द्र द्वारा आयोजित उन्मुखी कार्यक्रम के शुभारम्भ कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

इसके उपरान्त उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

<u>मद संख्या–2:</u> वित्त समिति की दिनांक 28–06–2016 को परिचालन द्वारा (By Circulation) सम्पन्न बैठक की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की दिनांक 28–06–2016 को परिचालन द्वारा (By Circulation) सम्पन्न बैठक की सिफारिशों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासनिक एवं लिपिकीय सेवाएं (भर्ती, पदोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1973 के प्रावधान–21 के अनुसार सम्बन्धित वर्गों के पदोन्नति नियमों में जनहित में छूट देने हेतु **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

मद संख्या–3: विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013–2014 कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदन हेतु।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन को विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1970 (संशोधित) की धारा–37(1) के प्रावधानों के अनुरूप अनुमोदित कर विश्वविद्यालय कोर्ट के अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–4: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियमन 2010 के क्रम में तृतीय संशोधन 2016 अधिसूचना संख्याः एफ.1–2/2016(पीएस/संशोधन) दिनांक 4 मई, 2016 जोकि भारत के राजपत्र भाग–4 में 10 मई, 2016 को प्रकाशित हुआ है को विश्वविद्यालय में अपनाने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति हेतु प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम–2010 के क्रम में जारी तृतीय संशोधन 2016 को जिसकी अधिसूचना संख्याः एफ. 1–2/2016(पीएस/संशोधन) दिनांक 4 मई, 2016 जोकि भारत के राजपत्र भाग–4 में 10 मई, 2016 को प्रकाशित हुई है को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विनियम–2009 जो एम.फिल./पीएच.डी. में प्रवेश से सम्बन्धित मापदण्डों के बारे में था, भारत के राजपत्र में दिनांक 11–7–2009 को प्रकाशित हुआ था जिसके आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा एम.फिल./पीएच.डी. में प्रवेश हेतु मापदण्ड अपनी अधिसूचना संख्याः1–15/2010/हि0प्र0वि0(अ.अ.)दिनांक 14–7–2010 द्वारा अधिसूचित किए गए थे अतः कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विनियम–2010 के क्रम में जारी तृतीय संशोधन के प्रावधान 4.4.1.(iii) में दर्शाई तिथि दिनांक 11–7–2009 के स्थान पर दिनांक 14–7–2010 से लागू करने का निर्णय लिया।

कार्यकारिणी परिषद् ने उक्त प्रावधान 4.4.1.(iii) में निर्धारित शर्तों को प्रमाणित करने के लिए निम्न समिति का गठन किया गया :–

1–अधिष्ठाता अध्ययन	अध्यक्ष
2– अधिष्ठाता सम्बन्धित संकाय	–सदस्य
3– विभागाध्यक्ष सम्बन्धित विषय	–सदस्य
4– उप कुलसचिव(शैक्षणिक)	–सदस्य–सचिव

परिषद् ने उक्त समिति की अनुशंसा अनुसार अधिष्ठाता अध्ययन को पात्र विद्यार्थियों के प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु अधिकृत करने का भी निर्णय लिया।

<u>मद संख्या–5:</u> हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के अंतर्गत पीएच.डी. आयुर्वेद कोर्स चलाने सम्बन्धी अध्यादेश में संशोधन हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद को स्थगित कर मामले के विभिन्न पहलुओं जैसे उक्त पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शैक्षणिक योग्यता/अवधि आदि सम्बन्धी मापदण्डों का अध्ययन कर अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निम्न समिति के गठन का निर्णय लिया:–

1.	अधिष्ठाता अध्ययन	–अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय	–सदस्य
3.	प्रभारी (शैक्षणिक)	–सदस्य–संयोजक

<u>मद संख्या–6:</u> कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 17–09–2012 को मद संख्या–2 में लिए गए निर्णय जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की पीएच.डी. उपाधि का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम–2009 के अंतर्गत प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु लिए गए निर्णय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश P.Susheela and Others etc. Vs UGC दिनांक 16–3–2015 का निर्णय कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ एवं निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है।

......

कार्यकारिणी परिषद् द्वारा मामले पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त यह पारित किया गया कि परिषद् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा P.Susheela and Others etc. Vs UGC मामले में आदेश दिए गए निर्णय दिनांक 16–3–2015 तथा उक्त निर्णय पर आधारित

माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिए गए निर्णय का सम्मान करती है तथा उनकी अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा अपनी अधिसूचना संख्याः2–1/2012–हि0प्र0वि0(शैक्षणिक) दिनांक 22–9–2012 जो विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2009 के पूर्व के पीएच.डी धारकों हेतु पंजीकृत जिन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम–2009 के अंतर्गत अस्थायी प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा त्यागराजन समिति द्वारा दिए गए मापदण्डों पर आधारित निर्णय के दृष्टिगत जारी हुई थी जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा P.Susheela and Others etc. Vs UGC मामले में दिए गए निर्णय में निरस्त कर दिया गया है, को वापिस लेने तथा जारी अस्थायी प्रमाण–पत्रों को निरस्त करने के मामले पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त अधिसूचना के अंतर्गत प्राप्त पात्रता के आधार पर कई विद्यार्थियों की नियुक्तियां सम्भवतः विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सहायक आचार्यों एवं इसके समकक्ष पदों पर हो चुकी होंगी, अतः परिषद् द्वारा उक्त अस्थायी प्रमाण–पत्रों की वैद्यता से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निम्न समिति का गठन किया गयाः–

1– प्रति कुलपति	–अध्यक्ष
2– अधिष्ठाता अध्ययन	–सदस्य
3– आचार्य जे.बी. नड्डा	–सदस्य
4– अधिष्ठाता, विधि संकाय	–सदस्य

<u>मद संख्या–7:</u> कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पदो ंके लिए निर्धारित शैक्षणिक व अन्य अनिवार्य अर्हता के सम्बन्ध में।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि उक्त पदों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अपने विज्ञापन में निर्धारित मानकों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अभ्यार्थियों द्वारा अपनी योग्यता सम्बन्धी विभिन्न संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण–पत्रों की उनकी योग्यता हेतु वैद्यता बारे भारतीय व्यवसायिक तकनीक परिषद् (NCVT)

तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं की वैव–साईट पर उपलब्ध सूचना अथवा उनसे पत्राचार द्वारा 15 दिन के भीतर जांच की जाए तथा तदोपरांत भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए।

<u>यथा–स्थान की गई चर्चाः–</u>

शिक्षा निदेशक एवं सदस्य कार्यकारिणी परिषद् ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम (Vocational Courses) प्रारम्भ करने के लिए उचित कदम उठाये जायें ताकि उक्त पाठ्यक्रम को महाविद्यालयों में शुरू किया जा सके।

सदस्य आचार्य जे0बी0 नड्डा द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों/विभागों में स्वयं–पोषित योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला उठाया जिस पर चर्चा के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् ने मामले को पूर्ण औचित्य एवं तथ्यों सहित वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

सदस्य श्री कृष्ण वैद्य ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रूसा प्रणाली के लिए जारी पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र अधिसूचित किया जाये ताकि इसमें छात्रों को आ रही समस्याओं का निष्पादन हो सके।

कार्यकारिणी परिषद् के सभी सदस्यों ने कहा कि उन्हें बैठक की कार्यसूची समयबद्ध उपलब्ध करवाई जाये ताकि वे इसका अवलोकन कर सकें और परिषद् की बैठक में प्रत्येक मद पर उचित निर्णय लिया जा सके। परिषद् के सदस्यों

द्वारा उठाये गये मामले पर चर्चा के उपरान्त माननीय कुलपति महोदय ने परिषद् के सदस्यों को अवगत करवाया कि बैठक की कार्यसूची समयबद्ध उपलब्ध करवाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में बैठक की सूचना और कार्यसूची समस्त सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से ऑन–लाईन उपलब्ध करवाई जायेगी, जिस पर परिषद् ने अपनी सहमति व्यक्त की।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(डॉ0 पंकज ललित)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

(आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी)
कुलपति / सभापति